अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

एफ 11 (10) ग्रावि / नरेगा / एस.ई.जी.सी. / 12 जयपुर दिनांक : 12 JUN 2012

राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.05.2012 का कार्यवाही विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 की धारा 12(1) के अनुसरण में गठित राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद की चतुर्थ बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2012 को आयोजित हुई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यगणों का इस बैठक में स्वागत करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना की अब तक की प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. एजेण्डा बिन्दु सं.–1 :– राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद की गत बैठक दिनांक 16.02.2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

2. एजेण्डा बिन्दु सं.–2 :–परिषद की गत बैठक दिनांक 16.02.2011 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

3. एजेण्डा बिन्दु सं.–3 :– योजना की वर्ष 2011–12 की प्रगति के प्रस्तुतीकरण पर चर्चा की गई तथा प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना में हुई अब तक की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस ने अपने प्रस्तुतीकरण के भाग–1 में योजना की प्रगति, भाग–2 में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों की कियान्विति एवं भाग–3 में परिषद से पुष्टि एवं

अनुमोदन हेतु प्रस्तावों के संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये।

3.1 आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस ने स्पष्ट किया कि पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जाता था, परन्तु अब नये दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में करवाये जा रहे कार्यों को अन्य योजनाओं यथा– अनटाईड फण्ड, बीआरजीएफ आदि से सामग्री मद की राशि डवटेल की जावे, ताकि अधिक से अधिक पक्के कार्य करवाये जा सकें।

3.2 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की प्रगति पर चर्चा के दौरान मा. मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण का काम पूरे देश में सबसे अधिक राजस्थान राज्य में हुआ है तथा अब भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर नागरिक सेवा केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मिनी बैंक आदि सुविधाओं को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिये गये।

- अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बताया कि अभी तक राज्य की 9177 ग्राम पंचायतों में केवल 3000 ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। जब तक सभी ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होगी, तब तक सेवा केन्द्रों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं होगा। आमजन को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसके लिए **माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिये कि इस विषय में भारत सरकार को पत्र लिखें।**

- अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बताया कि राज्य में अधिकांश राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्मित हो चुके हैं, लेकिन इनमें सुरक्षा, साफ सफाई एवं बाउण्ड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है। कई सेवा केन्द्रों में सोलर संयंत्र एवं अन्य सामान के चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने अवगत कराया कि सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु सभी सेवा केन्द्रों पर भूतपूर्व सैनिक सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से भूतपूर्व सैनिको को निश्चित मानदेय पर लगाने पर विचार किया जा सकता है। इनको लगाने पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रू. व्यय होने का अनुमान है। नरेगा योजनान्तर्गत यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। **इस पर मा. मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि इस विषय पर अलग से विचार किया जाए।**

- माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र की सुरक्षा हेतु बीआरजीएफ एवं अनटाईड फण्ड से चार दीवारी का निर्माण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। कुछ जिलों में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चार दीवारी का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। जिला प्रमुख, दौसा ने बताया कि उनके जिले में अधिकांश राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की चार दीवारी अनटाईड फण्ड के माध्यम से बना ली गई है। इस संबंध में मा. **मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की चार दीवारी अनटाईड फण्ड एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से बनवाये जाने का प्रयास किया जावे।**

3.3 अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत लगभग 90 प्रतिशत से अधिक कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये जा रहे हैं। अन्य विभागों द्वारा योजना के कियान्वयन में बहुत अधिक रूचि नहीं ली जा रही है। **माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि लाईन विभागों के माध्यम से भी अधिक से अधिक कार्य करवाये जावें। उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिये कि वे अपने स्तर पर इस विषय में लाईन विभागों की बैठक लें तथा उनके माध्यम से अधिक से अधिक कार्य करवाये जाने का प्रयास किया जावे।**

3.4 महात्मा गांधी नरेगा के साथ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कन्वरजेन्स बाबत विभागीय कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। अब व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से 20 मानवदिवस अकुशल श्रमिक एवं 6 मानव दिवस कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाये जा सकते है। इस प्रकार योजना से अधिकतम रू. 4500/– का योगदान दिया जा सकता है। टीएससी से केन्द्रीयांश एवं राज्यांश तथा लाभार्थी की भागीदारी मिलाकर अब शौचालय के लिए रू. 9900/– उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य चुनौती यह है कि इस प्रकार निर्मित शौचालय का प्रभावी उपयोग हो। **यह सुनिश्चित करने हेतु वर्किंग ग्रुप बनाकर इस क्षेत्र में अच्छे कार्य का अध्ययन कराया जावे।**

- **सेवा मन्दिर, उदयपुर के प्रतिनिधि** द्वारा अवगत कराया गया कि इन शौचालयों का डिजाईन अच्छा है तथा इनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानसिकता बदलनी होगी। इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है। **माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग** द्वारा चम्बल फर्टीलाईजर कोटा के सहयोग से प्रारम्भ की गई स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में अवगत कराते हुए सुझाव दिया गया कि मानसिकता बदलना आसान कार्य नहीं है, लगातार प्रयास करने से ही इसमें सफलता मिल सकेगी। इस हेतु अच्छे एनजीओ की भूमिका आवश्यक है। **महानिदेशक, इन्दिरा गांधी**

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा महाराष्ट्र में हिवडे बाजार तथा **प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग** द्वारा अहमदाबाद स्थित पटेल इन्स्टीट्यूट द्वारा किये गये अच्छे प्रयासों के बारे में अवगत कराया गया।

3.5 **मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रतिनिधि** श्री शंकर सिंह ने बताया किः—

- गत वर्ष बारां जिले की सहरिया एवं काथौडी जाति के व्यक्तियों को नरेगा योजना से दिये जा रहे 100 दिन के रोजगार के अलावा राज्य सरकार की ओर से 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया था। इसे इस वर्ष भी लागू किया जावे।

- उन्होंने यह भी बताया कि न्यूनतम मजदूरी दर रू. 147/— राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी इसे लागू किया जाकर प्रतिदिन की मजदूरी रू. 147/— की जावे। इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जावे।

- फार्म नं. 6 की रसीद संबंधित कर्मचारी द्वारा नहीं दी जा रही है। इससे योजना में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है। अतः फार्म नं. 6 आसानी से उपलब्ध करवाने एवं इसकी रसीद देने की पुख्ता व्यवस्था की जावे।

- जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है, उनको समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। बारां जिले में जनवरी के प्रथम पखवाडे एवं दिसम्बर के द्वितीय पखवाडे का भुगतान बाकी है। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति, भीलवाडा जिले में भी समय पर भुगतान नहीं हुआ है। समय पर भुगतान नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जावे। आन्ध्रप्रदेश के पैटर्न पर संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जावे तथा विलम्ब के लिए देय क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि संबंधित कार्मिक से वसूल की जावे।

- श्रमिकों का नियोजन 5—5 के ग्रुप में किया जा रहा है। इनके द्वारा किये गये कार्य की माप भी ग्रुपवार की जावे, ताकि पूरा काम करने वाले को पूरा भुगतान मिले तथा कम काम करने वाले को कम भुगतान मिले।

3.6 **माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती** राज ने बताया कि बाहर मजदूरी की दर बढ़ गई है। इससे योजना में श्रमिक कम आ रहे हैं। काम करने वाले अधिकांश लोग बाहर काम कर रहे हैं।

3.7 **माननीय विधायक, सवाईमाधोपुर** ने बताया कि सामग्री क्रय के संबंध में अब नये आदेश जारी हो गये हैं, लेकिन पूर्व आदेश को निरस्त नहीं किया गया है। अतः सामग्री क्रय करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त किया जावे।

3.8 **माननीय राजस्व मंत्री महोदय** ने बताया कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में यदि कोई काश्तकार पूर्व में काम करा चुका है तो उसे दूसरा कार्य कराने की भी स्वीकृति दी जावे। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में प्रति परिवार रू. 1.50 लाख के कार्य करवाये जा सकते हैं। इस सीमा तक कोई भी काश्तकार एक से अधिक कार्य करवा सकता है।

3.9 **सेवा मन्दिर के प्रतिनिधि** ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं को योजना में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। सेवा मन्दिर, उदयपुर चारागाह विकास के 30 कार्य करवा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं को ओर कार्य दिये जाने चाहिए।

3.10 **प्रधान, पंचायत समिति चौहटन** ने बताया कि बेरियों के निर्माण की स्वीकृति पुनः दी जावे। यह क्षेत्र डार्कजोन में होने के कारण बेरियों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अतः इसे डार्कजोन से निकालकर बेरियों के निर्माण की स्वीकृति दी जावे।

- उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यहां भी लागू किया जावे। यह योजना की मोनिटरिंग करने के लिए बहुत उपयोगी होगा।

- पंचायत समिति, चौहटन क्षेत्र में राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह बनाकर कशीदाकारी के कार्य को प्रोत्साहन दिया जावे। **प्रधान, पंचायत समिति कुशलगढ़** ने बताया कि ग्राम पंचायत छोटी सरवन को भी डार्कजोन से मुक्त कराया जावे।

3.11 **माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज** विभाग ने बताया कि योजना में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। बाड़मेर जिले में टांकों का निर्माण हुआ है। पानी के परम्परागत स्त्रोतों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इससे भू–जल का स्तर बढ़ा है। भूमिगत पानी का स्तर बढ़ने से कुओं का भी जल स्तर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि योजना का कियान्वयन टीम भावना के साथ किया जावे।

- फार्म नं. 6 की उपलब्धता एवं इसकी रसीद दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि फार्म नं. 6 की रसीद सादे कागज या आवेदन की फोटो कॉपी पर भी यदि नियमानुसार दिया जाना सम्भव हो तो इस पर विचार किया जावे।

3.12 फार्म नं. 6 मांग करने पर उपलब्ध नहीं करवाने एवं उसकी रसीद नहीं देने को **माननीय मुख्यमंत्री महोदय** ने अत्यधिक गम्भीरता से लिया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक मांग

आधारित योजना है। इसमें काम की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर हालत में काम मिलना चाहिए। यदि कोई भी कर्मचारी/अधिकारी फार्म नं. 6 की रसीद नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिये कि सभी जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों को लिखित में यह निर्देश जारी करें कि फार्म नं. 6 मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवाया जावे तथा इसकी रसीद दिये जाने की पुख्ता व्यवस्था की जावे। फार्म नं. 6 उपलब्ध नहीं करवाना एवं इसकी रसीद नहीं देना नरेगा अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है। अतः इस समस्या का तुरन्त निराकरण किया जावे। यदि कोई कर्मचारी फार्म नं. 6 की रसीद उपलब्ध करवाने में कोताही बरतता है तो उसके विरूद्ध तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। ऐसे मामलों को गम्भीरता से लिया जावे तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जावे। किसी कर्मचारी की लापरवाही से कोई भी व्यक्ति काम से वंचित नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जावे।

- फार्म नं. 6 स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी देने की व्यवस्था की जा सकती है। फार्म नं. 6 की रसीद सादा कागज पर भी दी जा सकती है।

- औसत मजदूरी दर बढ़े, यह भी प्रयास किया जावे।

- मा. मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि काम करने के बाद भुगतान समय पर हो। काम नहीं मिलने पर काम मांगने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता घर बैठे मिले। जहां ब्याज का प्रावधान हो, वहां पर ब्याज भी मिले। भुगतान की जांच करावें। **भुगतान समय पर मिलना चाहिए। भुगतान में विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जावे।**

3.13 माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना को लागू करने का एक क्रांतिकारी फैसला भारत सरकार ने लिया है। राजस्थान एक मरूस्थलीय राज्य है। यहां पर वर्षा कम होने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना लागू होने से लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के कारण अकाल की स्थिति से आसानी से निपटा जा सका था। उन्होंने बताया कि इस योजना में काम मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि जब इस समय **बांसवाड़ा में 2 लाख से अधिक श्रमिक लग सकते हैं तो जैसलमेर में श्रमिकों का नियोजन कम क्यों है। जैसलमेर में केवल 12 हजार एवं जालौर में 32 हजार श्रमिक ही लगे हुए हैं। इसकी स्टडी करावें।** एनजीओ को भी साधन उपलब्ध करवा दें तथा जिलों में **टीमें भेजकर यह जांच करावें कि श्रमिक कम क्यों लग रहे हैं। क्या फार्म नं. 6 की रसीद तुरन्त दी जा रही है।**

टीम में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावे। फार्म नं. 6 की रसीद नहीं देना एक अपराध है।

3.14 माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि योजना में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा भुगतान मिले। जो व्यक्ति पूरा काम करता है, उसे पूरा भुगतान मिले।

- पक्के कार्यों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 है। सामग्री मद में राशि कम पडने पर अन्य योजनाओं से डवटेल किया जावे। योजना में कच्चे कार्य बहुत हो चुके हैं। कच्चे कार्यों का अब बहुत उपयोग नहीं है। अतः योजना में अब अधिक से अधिक पक्के कार्य करवाये जावे। नरेगा योजना में सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्रकिया के बारे में अब कोई समस्या नहीं है।

4. एजेण्डा बिन्दु सं.–4 :– योजना के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 का अनुमोदन किया गया।

5.(A) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 ए :– "अपना खेत अपना काम योजना" के संबंध में जारी दिशानिर्देश दिनांक 04.05.11 / 27.05.11 की पुष्टि की गई।

5.(B) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 बी :– चारागाह भूमि के विकास हेतु दिशानिर्देश दि. 26.03.11 एवं दि. 05.05.2011 की पुष्टि की गई।

5.(C)(1) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 सी (1) :– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की लागत में वृद्धि बाबत विभागीय पत्र दिनांक 04.2.2011 एवं 10.8.2011 की पुष्टि की गई।

(2) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 सी (2) :– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों के संबंध में क्लीन डवलपमेन्ट मेकेनिज्म (सीडीएम) बेनिफिट प्राप्त करने बाबत विभागीय पत्र दि. 03.02.11 एवं भारत सरकार को लिखे गये पत्र दिनांक 18.1.2012 की पुष्टि की गई।

5.(D) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 डी :– फार्म नं. 6 की उपलब्धता के संबंध में जारी किये गये आदेश दिनांक 31.01.2011, 04.02.2011, 12.05.2011, 19.12.2011 एवं 24.01.2012 की कार्योत्तर पुष्टि की गई।

5.(E) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 ई :– राजस्थान राज्य रोजगार गारन्टी परिषद मुख्यालय पर हुऐ व्यय के क्रम में सनदी लेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक का व्यय राशि रूपये 6,37,33,524/– एवं गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 31.3.2012 तक व्यय राशि रूपये 6,12,44,477/– का अनुमोदन किया गया।

5.(F) एजेण्डा बिन्दु सं.–5 एफ :– भीषण गर्मी के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के समय एवं टास्क के पुर्ननिर्धारण बाबत जारी आदेश दिनांक 12.5.11 की कार्योत्तर पुष्टि की गई।

6. एजेण्डा बिन्दु सं.–6 :– महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन हेतु सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग बाबत किये गये प्रयासों से अवगत करवाया गया।

7.(A) एजेण्डा बिन्दु सं.–7 ए :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 एवं 2 में भारत सरकार द्वारा दिनांक 4.5.12 को किये गये संशोधनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस संशोधन में नये अनुमत कार्यों की जानकारी दी गई।

7.(B) एजेण्डा बिन्दु सं.–7 बी :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट सी.सी इन्टरलोकिंग ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से गॉवों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण हेतु दिशा–निर्देश दिनांक 24.1.2012 एवं दिनांक 14.5.2012 की पुष्टि की गई।

7.(C) एजेण्डा बिन्दु सं.–7 सी :– महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कन्वरजेन्स बाबत विभाग के पत्र दिनांक 14.05.2012 की पुष्टि की गई।

8. एजेण्डा बिन्दु सं.–8 :– सामाजिक अंकेक्षण परीक्षा नियम–2011 एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में चर्चा की गई।

9.(A) एजेण्डा बिन्दु सं.–9 ए :– बैठक में एजेण्डा बिन्दु सं. 9 ए का अनुमोदन किया गया। इसमें राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की लागत रू. 10.00 लाख से अधिक आने पर अतिरिक्त राशि नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में राज्य मद से वहन किये जाने का निर्णय लिया गया।

9.(B) एजेण्डा बिन्दु सं.–9 बी :– एजेण्डा बिन्दु सं. 9 बी का अनुमोदन किया गया। योजना में जिला स्तर पर स्वीकृत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के पद को विशेष चयन के माध्यम से भरने की सहमति दी गई। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, अधिशाषी अभियंताओं ओर परियोजना अधिकारी का विशेष चयन ओर उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 में आवश्यक संशोधन कर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के पद को भी इसमें जोड़ने एवं विशेष चयन के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई।

9.(C) एजेण्डा बिन्दु सं.–9 सी :– एजेण्डा बिन्दु सं. 9 सी के बारे में प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने बताया कि विभाग के प्रस्तावानुसार नरेगा योजना में स्वीकृत संविदा के रिक्त पदों को भरने की छः माह तक के लिए अनुमति दे दी गई है।

9.(D) एजेण्डा बिन्दु सं.–9 डी :– एजेण्डा बिन्दु सं. 9 डी का भी अनुमोदन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2012 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में संशोधन कर अनुमत कार्यों की सूची में विस्तार किया है। इन नये अनुमत कार्यों को वर्ष 2012–13 में करवाने के लिए वर्ष 2012–13 की पूरक वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की अनुमति दी गई।

10. एजेण्डा बिन्दु सं. 10 :– माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये :–

10.1 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर नागरिक सेवा केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मिनी बैंक आदि सुविधाओं को शीघ्र चालू किया जावे। जिन ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य सचिव की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखा जावे।

10.2 महात्मा गांधी नरेगा योजना में लाईन विभागों द्वारा अधिक से अधिक कार्य करवाये जावें। इसके लिए मुख्य सचिव अपने स्तर पर लाईन विभागों की बैठक लेकर उन्हें अधिक से अधिक कार्य करवाने के लिए निर्देशित करें।

10.3 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बनवाये जा रहे शौचालयों का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए प्रचार–प्रसार किया जावे। इस संबंध में अच्छे कार्य करने वाले कार्यों के वर्किंग ग्रुप भेजकर अध्ययन कराया जावे।

10.4 सभी जिला कलेक्टर्स को लिखित में निर्देश दिया जावे कि फार्म नं. 6 की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। फार्म नं. 6 स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी उपलब्ध करवाये जावें। फार्म नं. 6 जमा कराने पर इसकी रसीद तुरन्त दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। फार्म नं. 6 की रसीद सादे कागज एवं आवेदन की फोटो प्रति पर भी दी जा सकती है। फार्म नं. 6 की रसीद उपलब्ध नहीं करवाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अविलम्ब सख्त कार्यवाही की जावे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावे। निश्चित अवधि में काम नहीं दिये जाने पर काम मांगने वाले को बेरोजगारी भत्ता दिया जावे।

10.5 योजना में श्रमिकों का नियोजन कम हो रहा है। क्या श्रमिकों के नियोजन में कमी फार्म नं. 6 उपलब्ध नहीं होने तथा संबंधित कर्मचारी द्वारा इसकी रसीद नहीं दिये जाने के कारण है। श्रमिकों के नियोजन में कमी के कारणों का अध्ययन करवाया जावे। इसके लिए टीमें बनाकर जिलों में भेजी जावे। जिन जिलों में 25 हजार से कम श्रमिक काम कर रहे हैं, उनमें टीमे बनाकर भेजी जावें। इस काम में स्वयं सेवी संस्थाओं का

भी सहयोग लिया जावे। टीम में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावे।

10.6 योजना में काम करने पर निश्चित अवधि में भुगतान दिया जावे। समय पर भुगतान नहीं करने पर क्षतिपूर्ति भत्ता या मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था की जावे।

10.7 पक्के कार्यों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 है। सामग्री मद में राशि कम पडने पर नरेगा योजना के कार्यों को अनटाईड फण्ड, एमपीलैड आदि अन्य योजनाओं से डवटेल करने पर विचार किया जावे।

10.8 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चार दीवारी अनटाईड फण्ड या अन्य योजनाओं के माध्यम से बनवायी जावे।

इसके बाद बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(अभय कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस
(सदस्य सचिव)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. निजी सचिव, मा. मंत्री, विधि विभाग।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग।
7. निजी सचिव, मा. मंत्री, वन विभाग।
8. निजी सचिव, मा. मंत्री, कृषि विभाग।
9. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
11. निजी सचिव, मा. संसदीय सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
12. मा. श्री अलाउद्दीन आजाद, विधायक, स. माधोपुर।
13. मा. श्री मदन लाल वर्मा, विधायक, डग, झालावाड़।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजथान सरकार।
15. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (विकास)।
16. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन विभाग।
17. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।

19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
23. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
25. निजी सहायक, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन।
26. निजी सहायक शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
27. निजी सहायक आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
28. निजी सहायक, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
29. श्री अजीत सिंह महुवा, जिला प्रमुख, दौसा।
30. श्री हनुमान प्रसाद, जिला प्रमुख, झुन्झुनूं।
31. श्रीमती शमा बानो, प्रधान, पंचायत समिति चौहटन।
32. श्री हुर्टिंग खडिया, प्रधान, पंचायत समिति कुशलगढ़।
33. श्री निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन।
34. प्रतिनिधि, सेवा मन्दिर, उदयपुर।
35. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्त कार्यवाही विवरण के अनुसार दिये गये निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करावे एवं पालना रिपोर्ट अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस को तत्काल प्रेषित करें।
36. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस